न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, जिला–अजमेर

प्रकरण संख्या 28 / 2021(2021 / 105)

प्रेमप्रकाश शुक्ला पुत्र मदन शुक्ला जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

1 राधा देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राम्हण निवासीग्राम बघेरा तह.केकडी जिला अजमेर

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131भू.राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

दिनांक 20/12/2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 का प्रस्तुत किया जिसकी जांच तहसीलदार केकडी से करवायी गयी। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया ।

अप्रार्थी की और से राजेश शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये । उन्होने जवाब पेश किया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1210 रकबा 0.71 है. जो वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी मे स्थित है। इसी प्रकार अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्र 1211 रकबा 0.34 है. जो वाके ग्राम बघेरा मे स्थित है। मौके पर एक ही चक है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार उभय पक्षकारान का . दोनो ही पक्षकारान का अपने– अपने रकबे पर कब्जा है। राजस्व नक्शे में रकबा बरारी कम ज्यादा के आरोप गलत है। इस प्रकार अप्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 2221व 2222 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार , जमाबन्दी अनुसार दर्ज मौके पर अप्रार्थीया [redacted] कब्जा काश्त है। अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी राजस्व रिकॉर्ड में जो रकबा दर्ज है उतने ही रकबे पर अप्रार्थीया का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी का भी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबे पर कब्जा काश्त है। अतः अप्रार्थी का जवाब स्वीकार कर कार्यवाही ड्रॉप करवाये ।

पक्षकारान की बहस सुनी। प्रार्थी के वकील श्री सिद्वार्थसिंह ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकित कथनों को दोहराया तथा निवेदन किया कि ग्रम बघेरा की जमाबन्दी सन फसली 1358 के खाता स. 248 में खसरानम्बर 2437 रकबा 2–3–00 बीघा , एव. ख.न. 2438 रकबा 2–5–00बीघा काश्तकार मिठूलाल वल्द छोगालाल कोम ब्राम्हण के नाम दर्ज है। खाता स. 136 में ख.न. 2436 रकवा 2–3–10बीघा काश्तकार धूलचन्द वल्द रामवक्ष कोम ब्राम्हण साकिन दे हके नाम दर्ज है। भूमि एकीकरण मिलानक्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख.न. 2437,2438 किता 2 रकवा 4–08–00बीघा के नये खसरा नम्बर 1210 रकबा 4–8–00बीघा बने जो एकीकेरण जमाबन्दी के खाता स दृ 539 में मदनलाल पुत्र भागीरथ कोम ब्राम्हण साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 2436 रकवा 2–3–10 बीघा के नये खसरा नम्बर रकवा 2–3–10बीघा बने जो खाता स. 310 में धूलचन्द वल्द रामबक्ष कोम ब्राम्हण साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। संवत 2028 के राजस्व मानचित्र में साबिक खसरा नम्बर 2437 की आराजि नये नये खसरा नम्बर 1211 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

शामिल कर दिया गया। जिसे प्रार्थी के खसरानम्बर 1210 की आकृति राजस्व मानचित्र में छोटी हो गयी। ग्राम बघेरा के राजस्व मानचित्र संवत 2028 में खसरा नम्बर 1210 एवं 1211 की आकृति के रकबे के संबंध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

खसरा नम्बर	रकबा जमाबन्दी अनुसार	राजस्व मानचित्र रकबा बरारी किये जाने पर रकबा(है.)	कमी बेशी की स्थिति
1210	4-08-00बीघा(0.71है.)	0.40 (है.)	मानचित्र में 0.31 है. रकबा की कमी पायी गयी।
1211	2-3-10 बीघा(0.34 है.)	0.65	मानचित्रमें 0.31 है. रकबा बेशी पाया गया ।

ग्राम बघेरा की आधार जमाबन्दी के संबंध में मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1210 रकबा 4-800बीघा (0.71) के हाल के ख.न. 2223 रकाब 0.71 है. वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र मदनलाला कोम ब्राम्हण व अन्य के नाम (जमाबन्दी अनुसार)दर्ज है। एंव साबिक ख.न. 1211 रकबा 02-03-00बीघा(0.34 है.) के हाल ख.न. 2221 के रकबा 0.15 है. एवं खसरा नम्बर 2222 रकबा 0.19 हैक्ट वर्तमान जमाबन्दी में राधा देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद कौम ब्राह्मण साकिन देह के नाम दर्ज है। वर्तमान राजस्व मानचित्र अनुसार खसरा नम्बर 2221, 2222, 2223 के संबंध में रिकॉर्ड एवं राजस्व मानचित्र में वनी हुई आकृति की रकबा बरारी करने पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट निम्न अनुसार है-

खसरा नम्बर	रिकॉर्ड (जमाबन्दी के अनुसार रकबा)	राजस्व मानचित्र में बरारी किये जाने पर रकबा	कमी बेशी की स्थिति
2221	0.15 हैक्ट	0.34 हैक्ट	0.19 हैक्ट बेशी पाया गया है।
2222	0.19 हैक्ट	0.40 हैक्ट	ख.नं. 2223 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
2223	0.71 हैक्ट	0.31 हैक्ट	0.40 हैक्ट की कमी पायी गई है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार खसरा नम्बर 2221 में रेकार्ड के मुकाबले मानचित्र में 0.19 हैक्ट रकबा बेशी पाया गया एवं खसरा नम्बर 2223 में रेकार्ड के मुकाबले मानचित्र में 0.40 हैक्ट की कमी पायी गई। अतः खसरानम्बर 2221 एवं खसरा नम्बर 2222 एक ही खातेदार होने के कारण खसरा नम्बर 2221 में ही खसरा नम्बर 2222 रकबा 0.19 हैक्ट की आकृति बनाया जाना एवं मानचित्र में बनी हुई खसरा नम्बर 2222 की आकृति को खसरा नम्बर 2223 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार तहसीलदार केकड़ी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को सही होना माना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब खारिज किया जाना फरमावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब स्वीकार किये जाने योग्य नही है। प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम बघेरा के खसरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (जिला अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

नम्बर 2221 में रेकार्ड के मुकाबले मानचित्र में 0.19 हैक्ट रकबा बेशी पाया गया एवं खसरा नम्बर 2223 मे रेकार्ड के मुकाबले मानचित्र में 0.40 हैक्ट की कमी पायी गई। अतः खसरानम्बर 2221 एवं खसरा नम्बर 2222 एक ही खातेदार होने के कारण खसरा नम्बर 2221 में ही खसरा नम्बर 2222 रकबा 0.19 हैक्ट की आकृति बनाया जाना एवं मानचित्र में बनी हुई खसरा नम्बर 2222 की आकृति को खसरा नम्बर 2223 में सम्मिलित किया जावे। तहसीलदार केकड़ी आदेश की पालना मे राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
एवं [illegible] केकड़ी,
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner